राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 269/2024

विष्णु वैष्णव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव, यूडीएच, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जयपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री इमरान खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 14.08.2008 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता–प्रथम के पद पर कार्यालय अधिक्षण अभियंता 132 केवी, जीएसएस, अकलेरा झालावाड़ में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.02.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को सहायक अभियंता (विद्युत) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर की सेवायें नगर विकास न्यास, कोटा में 01 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.07.2021 (अनुलग्नक–4) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत एल. एल.बी. प्रथम वर्ष में आवेदन की अनुमति चाही गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने पर अपीलार्थी को दिनांक 18.01.2024 को मध्याहन् पश्चात् इस कार्यालय से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए तथा सचिव (प्रशासन) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर में 240 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपनी उपस्थिति देने के आदेश दिए, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक–2)

को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे पैतृक विभाग से स्वीकृति उपरान्त मोदी लॉ कॉलेज कोटा से एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम कर रहा हूँ, जिसकी परीक्षा जून–जुलाई, 2024 में होना संभावित है। सचिव महोदय के प्रासंगिक आदेश के द्वारा मुझे कार्यमुक्त करने से मेरा पाठ्यक्रम अधूरा रह जायेगा। अतः पूर्व में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 को निरस्त करने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.01.2024 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर यू.आई.टी., कोटा में निरन्तर कार्यरत रहने के निर्देश दिए जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 14.08.2008 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता–प्रथम के पद पर कार्यालय अधिक्षण अभियंता 132 केवी, जीएसएस, अकलेरा झालावाड़ में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.02.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को सहायक अभियंता (विद्युत) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर की सेवायें नगर विकास न्यास, कोटा में 01 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने पर अपीलार्थी को दिनांक 18.01.2024 को मध्याहन् पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देशित किया है कि सचिव (प्रशासन) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के अधीन उपस्थिति प्रस्तुत करे। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 240 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)